वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

Ref.No1456/VMSBUTU/2023 Date : 19-7-2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–861/XLI-A/2023/41/2022 दिनांक 13 जुलाई, 2023 की अनापत्ति क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटिलिटि मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, बलभद्रपुर, कोटद्वार मे नवीन एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम (HR) एवं (Marketing & Finance) Specialization में 60 सीट में शैक्षिक सत्र 2023–24 से पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय की अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन से पूर्व शैक्षिक व अशैक्षिक, स्टाफ, प्रयोगशाला एवं भूमि–भवन से सम्बन्धित मानकों को ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किया गया हो।
2. संस्थान द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के प्राधिकरण के माध्यम से मानचित्र आदि की कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया हो।
3. संस्थान द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व दिव्यांगजनों हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये गाईड लाईन/दिशा–निर्देशों का अनुपालन पूर्ण कर लिया गया हो।
4. संस्थान द्वारा अग्नि शमन की कार्यवाही से सम्बन्धित मानकों का पूर्णरूप व्यवस्था की गयी हों।
5. यदि भविष्य में संस्थान के सम्बन्ध में ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक पूर्ण न होने एवं अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उक्त अनापत्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
6. संस्थान द्वारा समस्त मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान में उपरोक्त पाठ्यक्रमों मे संचालन किये जाने के सम्बन्ध में ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली की स्वीकृति/अनुमोदन/मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही संस्थान को सम्बन्धित शैक्षिक सत्र मे विश्वविद्यालय एकेडेमिक कैलेण्डर अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति देने के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना दिये गये प्रवेश अमान्य होंगे।
8. संस्थान को ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु मान्यता/स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त न होने तथा उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने की दशा में विश्वविद्यालय स्तर पर उपरोक्त पाठ्यक्रम में संचालन किये जाने हेतु अस्थाई सम्बद्वता/संस्थान मे प्रवेश हेतु कोई कार्यवाही नही की जायेगी।
9. यदि संस्थान को ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम मे संचालन किये जाने हेतु स्वीकृति/मान्यता तथा राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित हेतु एन0ओ0सी0 विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त विलम्ब से प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित संस्थान द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम में संचालन किये जाने हेतु सम्बन्धित शैक्षिक सत्र मे प्रवेश नही लिये जायेगें एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को आगामी शैक्षिक सत्र से ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने उपरान्त प्रवेश की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

विश्वविद्यालय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता हेतु पत्रावली नियमानुसार संस्थान द्वारा तत्काल कार्यवाही की जायेगी। संस्थान द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम मे छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव महोदय, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0 उत्तराखड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटिलिटि मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, बलभद्रपुर, कोटद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव